



झारखण्ड सरकार
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

पत्रांक-5/प्रशि0(प्रशि0)-01/2022 - 915

राँची, दिनांक-27.7.2022

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन के तिथि विस्तार के संबंध में

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के पत्रांक-834 दिनांक 12.07.2022 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29.07.2022 निर्धारित थी। उक्त ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि में विस्तार किया जाता है।

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, राँची द्वारा NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त राज्य के सभी सरकारी (LWE सहित), निजी, पी0पी0पी0, सी0एस0आर0 एवं टी0एस0पी0 मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षणिक सत्र 2022-23-24 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों से जो झारखण्ड राज्य के स्थायी/स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और नीचे दिये गये शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं, उनसे ऑनलाईन (<https://iti.jharkhand.gov.in> → Admission tab) आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

क) सीट मेटल वर्कर, वायरमैन, मेशन (बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर), पलम्बर, वेल्डर, वेल्डर (GMAW & GTAW), वेल्डर (Fabrication & Fitting), सीविंग टेक्नोलॉजी, कारपेन्टर, सर्फेश अर्नामेंटेशन टेकनिक्स एवं वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एण्ड वुलन फैब्रिक्स व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को आठवीं (8वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।

ख) उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को दसवीं (10वीं) कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है।

3. महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	14.07.2022
2	ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	05.08.2022
3	औपबंधिक मेधा सूचियों (आठवीं एवं दसवीं कक्षा) का प्रकाशन	अपराहन 5:00 बजे तक 05.08.2022
4	औपबंधिक राज्य मेधा सूचियों में शामिल आवेदकों द्वारा प्राप्तांक /प्राप्तांक प्रतिशत, कोटि एवं अन्य प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार की अवधि	अपराहन 6:00 बजे 06.08.2022 से 07.08.2022
5	अंतिम मेधा सूचियों (आठवीं एवं दसवीं कक्षा) का प्रकाशन	10.08.2022

4. आवेदन शुल्क :-


क्र0सं0	कोटि/कोटा	राशि	अभियुक्ति
1	सामान्य (General)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/पिछड़ी जाति-I (BC-I)/ पिछड़ी जाति-II (BC-II)	300	दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुल्क देय नहीं है।
2	अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/सभी कोटियों की महिलायें (Female of all Categories)	150	

[Handwritten Signature]

5. डी0जी0टी0 के पत्रांक- DGT-12/1/2020-TC, दिनांक 12.05.2022 के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थियों का वैध मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई0डी0 एवं आधार नम्बर आवश्यक है तथा NTC उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। डी0जी0टी0 का पत्र <https://iti.jharkhand.gov.in> के Download Section के Notification Tab में देखा जा सकता है।

6. नामांकन संबंधी विस्तृत महत्वपूर्ण सूचना झारखण्ड ITI webportal (<https://iti.jharkhand.gov.in>) के Download Section के Notification Tab में देखा / Download किया जा सकता है।

7. किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हेतु ITI Webportal के Grievance Section में टिकट Raise किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार मो0 नं0-9279316039 / 8252575749 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त सूचना को Jharkhand के ITI Webportal (<https://iti.jharkhand.gov.in>) के Download Section के Notification Tab में देखा / Download किया जा सकता है।



उप निदेशक प्रशिक्षण (गु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-5/प्रशि0(प्रशि0)-01/2022-915

राँची, दिनांक 27.7.2022

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


उप निदेशक प्रशिक्षण (गु0)
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।